

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय व्यक्तिगत वा अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

मिल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 385 दिनांक 27/11/2020

प्रयोजन 1 देवाराम 2 रावदाराम एवं 3 धनदाराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No: 3/17 को आवली की दावी

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश मुम्बई नगर विकास योजना

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9499/- जमा

करिये रसीद संख्या 9062/3382, 3383

दिनांक 27/11/2020 को जमा करा दी है ।

27/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

2192721
9414213394 माई

जी+1
आवासीय